



भारत सरकार

जमाती कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता)

अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारणा नियम, २०१२

नमुना - ख

सामूहिक वनहक्क दाव्याचा अर्ज

(पहा नियम ११ (१) (क) व (४))

| अ.क्र.                                       | तपशील   |
|--|---|
| १.   | मागणीदाराचे नाव / मागणीदारांचे नाव :<br>(क) वननिवासी अनुसूचित जमातीचा समूह :<br>(ख) इतर जमाती व वननिवासींचा समूह :  |
| २.   | गाव :   |
| ३.   | ग्रामपंचायत :   |
| ४.   | तहसील / तालुका :  |
| ५.   | जिल्हा :  |
| <b>लाभ घेतलेल्या सामूहिक हक्कांचे स्वरूप</b> |   |
| १.   | निस्तार यासारखे सामूहिक हक्क, काही असल्यास (पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (ख)) :   |
| २.   | गौण वनोत्पादनावरील हक्क, काही असल्यास (पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (ग)) :  |
| ३.   | सामूहिक हक्क (पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (घ)) :<br>(क) वापर किंवा हक्कदारी असलेले (मासे, जलनिकाय), काही असल्यास<br>(ख) चराई, काही असल्यास<br>(ग) भटके व फिरते आदिवासी यांच्याकरिता पारंपारिक साधनांची सुगमता, काही असल्यास                |
| ४.   | आदिम जमाती समूह व कृषक-पूर्व समाज यांच्यानिवासाचे व निवासस्थानाचे हक्क तसेच सामाजिक धारणाधिकार, :<br>काही असल्यास (पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (ड))  |
| ५.   | विवादास्पद जमिनीवरील किंवा त्या संदर्भातील हक्क (पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (च)) :  |
| ६.   | वन जमिनीवरील पट्टा किंवा भाडेपट्टा किंवा अनुदान स्थानिक प्राधिकरण किंवा राज्य शासन यांनी दिलेले मालकी हक्क (पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (छ)) :   |
| ७.   | अभिलिखित, अधिसूचित केलेली किंवा न केलेली सर्व वन ग्रामे, जुनी वसतिस्थाने, भूमापन न केलेली गावे आणि अन्य गावे- यांमध्ये वसाहत करण्याचा हक्क (पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (ज)) :   |
| ८.   | निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिक वन-स्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन किंवा व्यवस्थापन करण्याचा हक्क :<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (झ))  |
| ९.   | राज्य विधीअन्वये किंवा स्वायत्त जिल्हा परिषद किंवा स्वायत्त प्रादेशिक परिषद यांच्या विधीअन्वये मान्यता दिलेले हक्क किंवा पारंपारिक किंवा रूढीगत कायद्याखाली आदिवासींचे हक्क म्हणून स्वीकारलेले हक्क :<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (ञ)) |
| १०.  | जैविक विविधता, बौद्धिक संपत्ती व पारंपारिक ज्ञान यांच्या हक्कांची सुगमता, काही असल्यास :<br>(पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (ट))  |

## सामूहिक वनहक्क दाव्याचा अर्ज (पहा नियम ११ (१) (क) व (४))

ग्राम:

ग्रा.पं.

ता.

जि.

## लाभ घेतलेल्या सामूहिक हक्कांचे स्वरूप (मागील पानावरून पुढे)

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ११. | शिकारीखेरीजचे अन्य सर्व पारंपारिक हक्क (पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (ट))   | : |
| १२. | अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांना १३ डिसेंबर, २००५ पूर्वी अवैधरीत्या निष्कासित किंवा विस्थापित करण्यात आले असेल तर त्यांचे पर्यायी जमिनीसह मूळ स्वरूपात पुनर्वसन करण्याचा हक्क (पहा अधिनियमाचे कलम ३ (१) (ड)) | : |
| १३. | पृष्ठ्यर्थ पुरावा (पहा नियम १३): (सोबतच्या पुरवणी अर्जांमध्ये नमूद केले आहे.)   |   |
| १४. | कोणतीही अन्य माहिती:  |   |

अध्यक्ष सचिव  
 ग्राम वनहक्क समिती,  
 तालुका:  
 जिल्हा:















|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| ग्राम वनहक्क समिती, | ग्रामपंचायत: |         |
| तालुका:             | उपविभाग:     | जिल्हा: |

वनसंसाधने:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

जलोत्पादने:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |